FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर।

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा बंटवारा नं. 77 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
28.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2924/भू.अ./22 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिसके आधार पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के [illegible] विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादी वकील द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूं। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकासमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर [illegible] जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त [illegible] प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग [illegible] में निर्णय पृथक से द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
77 / 2022	2022 / 175	06.06.2022	28.11.2022 (अन्तिम डिक्री)

[illegible] प्रकरण

महिपालसिंह पुत्र हरिसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत पेशा काश्त निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज०)

—वादी

बनाम

1. जगदीशसिंह पुत्र सुल्तानसिंह आयु वर्ष
2. भागीरथसिंह पुत्र सुल्तानसिंह आयु वर्ष
3. रघुवीरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह आयु वर्ष
4. प्रधुमनसिंह पुत्र शंकरसिंह आयु वर्ष
5. रतन कंवर बेवा शंकरसिंह आयु वर्ष
6. पिंकी कंवर पुत्री शंकरसिंह आयु वर्ष
7. करणसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु वर्ष
8. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह आयु वर्ष
9. सुमित्रा कंवर पुत्री भंवरसिंह आयु वर्ष
10. रामसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
11. पूरणसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
12. सरदारसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
13. प्रहलादसिंह पुत्र मांगूसिंह आयु वर्ष
14. भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह आयु वर्ष

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 28/11/22
दिलीप
उपखण्ड अधिकारी

15. मनु कंवर पत्नी समदरसिंह आयु वर्ष
16. मोहितसिंह पुत्र समंदरसिंह आयु वर्ष
17. गीतू कंवर पुत्री समंदरसिंह आयु वर्ष
18. ज्योति कंवर पुत्री समदरसिंह आयु वर्ष
19. बबली कंवर पुत्री समदरसिंह आयु वर्ष
20. प्रेमसिंह पुत्र हरिसिंह आयु वर्ष
21. शिरू कंवर पुत्री हरिसिंह आयु वर्ष
22. बबू कंवर पुत्री हरिसिंह आयु वर्ष
23. कैलाश कंवर पुत्री हरिसिंह आयु वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

24. मंगलाराम पुत्र कानाराम आयु वर्ष
25. बबनाराम पुत्र कानाराम आयु वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम धाटमदास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

26. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
27. पटवारी हल्का बागरियावास श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

----प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 26 की ओर से

<u>वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा</u>

<u>53, 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस [illegible] खसरा नम्बर 282 रकबा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

0.0600 गै.मु.चाह व भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 7.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.0600 हैक्टर (कुंआ) अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नम्बर [illegible] पिता हरिसिंह पुत्र महेशदानसिंह के नाम 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 9 के नाम 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 19 के नाम 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 24 व 25 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। पक्षकारान के बुजुर्गान ने उक्त कृषि भूमि का बाह्मी बंटवारा अर्सा करीबन 60–65 वर्ष पूर्व कर दिया था। उक्त बंटवारा बुजुर्गान ने उक्त भूमियो की उपजाऊ क्षमता कम अधिक के आधार पर तथा बारानी टिले आदि के आधार पर किया था। इस कारण राजस्व रिकार्ड [illegible] उक्त बाह्मी बंटवारा अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड शामलाती चला आ रहा होने से पक्षकारान को मिलने वाली कृषि सुविधाओं के लिए एक–दुसरे की सहमति लेनी पड़ती हैं। जिससे काफी समस्या खड़ी होकर आपसी मनमुटाव हो जाता हैं तथा पक्षकारान आवश्यकतानुसार अपनी–अपनी कृषि भूमियों का समुचित विकास करने से वंचित रह रहे हैं जिस कारण उक्त कृषि भूमि का कानूनन विभाजन करवाया जाना अतिआवश्यक एंव न्यायोचित हो गया हैं। विधिक विभाजन नही होने से पक्षकारान को एक–दुसरे की कृषि [illegible] हेतु [illegible] समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का विधिक तकास्मा करवाने हेतु बार–बार निवेदन किया कि पहले तो प्रतिवादीगण हां करते रहे किन्तु दिनांक 24.05.2022 को विधिक विभाजन करवाने हेतु स्पष्ट इंकार हो जाने पर वाद कारण उत्पन्न होने पर दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी कृषि भूमि के कार्य के साथ–साथ मजदूरी का कार्य भी करता हैं। इस कारण काफी गरीब व कमजोर व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादीगण एक संगठन के रूप में बने हुये हैं इस कारण हर समय प्रतिवादीगण से वाद विवाद नही कर सकता हैं इस कारण भी दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। यहां यह भी उल[illegible] हैं कि भूमि खसरा नम्बर 282 चाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

20/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(कुए) है जो पक्षकारान के हक हिस्सा शामलाती रहेगे और पक्षकारान अपने औसरेवार सिंचाई कर सकेंगे। प्रतिवादीगण नम्बर 10 से 23 एक ही सजरा खानदान के सदस्य है। इस कारण इनका हिस्सा मृतक मांगूसिंह का 1/8 हिस्सा व मृतक हरिसिंह का हिस्सा 1/8 कुल हिस्सा 1/4 इनके वारिसान का संयुक्त रहेगा। वादी अकेला व कमजोर व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने से वादी को हैरान व परेशान कर रहे है। इस कारण वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का कानूनी अधिकारी है। वकील वादी ने दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि :– कृषि भूमि खसरा नम्बर 282 चाह (कुआ) शामलाती राजस्व रिकार्ड अनुसार रहेगा। भूमि खसरा नम्बर 283 व 284, 285 अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का बाहमी बंटवारानुसार चले आ रहे हैं, कब्जा काश्तनुसार पक्षकारान के मध्य विधिक विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 10 से 23 के सम्पूर्ण को 1/4 हिस्सा का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने अर्थात वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 10 ता 23 का हिस्सा 1/4 बंटवारे में शामलाती रहेगा और विधिक विभाजन का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान को उनके कब्जा काश्त के रकबा का अलग से बट्टा नम्बर डालकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम करने हेतु डिक्री पारित की जावें तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का हिस्सा भी संयुक्त रूप से 1/4 रहेगा में पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अलग रकबा कायम कर अलग से खातेदार व काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु वाद वास्ते तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 27 की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 27 के विरूद्ध एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

29/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 27 के बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 25 के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व मौके पर स्थित कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से व मौके पर स्थित कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.08.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2099/रीडर/2022 दिनांक 09.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय [illegible] नक्शा के जरिये पत्रांक 2924/भू.अ./2022 दिनांक 21.11.2022 को प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

20/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वकील वादी ने प्रकरण में पक्षकारान् के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी के सहमत होने से वकील वादी ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादी व पक्षकारान् की सहमति एंव अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 21.11.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव नजरी नक्शा टेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

29/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियाँ:-

खाता / खेवट नं.	काश्तकार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
[illegible]	1. करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 3/14 रहन आईडीबीआई शाखा धारणी हिस्सा 1/8 2. जगदीश सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर 3. पूरण सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48 4. प्रद्युम्न सिंह पुत्र शंकर सिंह हिस्सा 1/48 5. प्रेम कंवर पुत्री भंवर सिंह हिस्सा 1/56 6. प्रहलाद सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48 7. पिंकी कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 1/48 8. भंवर सिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा 1/48 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर 9. भागीरथ सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर 10. रघुवीर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/16 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर 11. रतन कंवर पत्नि स्व.शंकर सिंह हिस्सा 1/48 12. राम सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48 13. समंदर सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48 14. सुमित्रा कंवर पुत्री भंवर सिंह हिस्सा 1/56 15. सरदार सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर 16. हरिसिंह पुत्र महेशदानसिंह हिस्सा 1/8 समस्त जाति राजपूत सा.देह 17. बचनाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/8 18. मंगलाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/8 समस्त जाति जाट सा.घाटमदास खातेदार	282 कुआ 283 284 285 कुआ	0.08 7.74 0.11 0.06	गै.मु. चाह चाही 1 3.30 चाही 2 0.30 जाव 1 0.96 जाव 2 0.07 बारानी 2 3.11 बारानी 2 बारानी 2	 95.21 6.70 7.59 0.55 12.28 0.43 0.24 123-00
		किता 4	7.96	–	123.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

28/11/22

दिलीप सिं.

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातावार [illegible] के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	जगदीश सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/2 रहन SBI शाखा श्रीमाधोपुर भागीरथ सिंह पुत्र सुल्तान सिंह हिस्सा 1/4 प्रद्युम्न सिंह पुत्र शंकर सिंह हिस्सा 1/12 पिंकी कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 1/12 रतन कंवर पत्नि शंकर सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	283/6283/1 285 284/3	0.6555 1.2940 0.06 0.0620	बा.2 चाही 2 0.30 जाव 2 0.07 बा.2 0.50 चाही1 0.4240 बा.2 बा.2	2.62 6.70 0.55 1.99 13.14 0.24 025
		किता 4	2.0715		25.49
02	करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 6/7 राहिन IDBI बैंक शाखा भारणी प्रेम कंवर, सुमित्रा कंवर पुत्रियॉं भंवर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/7 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार	283/4 283/7	1.02 0.51 0.25 0.8320 0.04	चाही 1 0.72 जाव 0.30 बारानी2 0.50 जाव 1 0.3320 बा. 2	21.31 1.99 2.65 0.15
		किता 3	1.8920		26.10

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 28/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

	...सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/8 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर ...सिंह पुत्र सुलतान सिंह हिस्सा 1/16 प्रद्युम्न सिंह पुत्र शंकर सिंह, पिंकी कंवर पुत्री शंकर सिंह, रतन कंवर पत्नि शंकर सिंह हिस्सा 1/16 करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 3/14 रहन IDBI बैंक शाखा भारणी प्रेम कंवर, सुमित्रा कंवर पुत्रियां भंवर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/28 प्रहलाद सिंह, पूर्ण सिंह, रामसिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/48 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर मनू कंवर पत्नि समंदर सिंह, मोहित सिंह पुत्र समंदर सिंह, नीतु कंवर, ज्योति कंवर, बबली कंवर पुत्रियॉं समंदर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/48 भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा 1/48 प्रेम सिंह, महिपाल सिंह पुत्र हरिसिंह, शीरू कंवर, दफू कंवर, कैलाश कंवर पुत्रियां हरिसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/8 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार मंगला राम, बचनाराम पुत्र कानाराम ब.हि.ब.हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. घाटमदास खातेदार	284/2 282 283/9 283/10 किता 4	0.0080 0.0500 0.0600 0.0320 0.1500	बारानी2 गै.मु. चाह जाव 1 0.0280 बा. 2 0.0320 चाही 1	0.03 — 0.23 0.13 0.90 1.29
04	प्रहलाद सिंह, पूर्ण सिंह, रामसिंह पुत्र मांगू सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/4, सरदार सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/12 रहन एसबीआई शाखा श्रीमाधोपुर, मनू कंवर पत्नि समंदर सिंह, मोहित सिंह पुत्र समंदर सिंह, नीतु कंवर, ज्योति कंवर, बबली कंवर पुत्रियॉं समंदर सिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/12 भंवरसिंह पुत्र मेघसिंह हिस्सा 1/12 प्रेम सिंह, महिपाल सिंह पुत्र हरिसिंह, शीरू कंवर, दफू कंवर, कैलाश कंवर पुत्रियां हरिसिंह ब.हि.ब. हिस्सा 1/2 समस्त जाति राजपूत सा. देह खातेदार	283/5 283/8 283/2 कुल किता 3	0.6775 0.74 0.4250 1.8425	जाव 1 0.30 बा. 2 0.3775 चाही 1 चाही 1	2.37 1.50 21.35 12.23 37.45
05	मगंलाराम, बचनाराम पुत्र कानाराम ब.हि.ब. जाति जाट सा. घाटमदास खातेदार	28[illegible]	2.0040	चाही 1 0.9590 बा. 2 1.0450	28.67 4.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

29/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। लगान इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2024/भू.अ./22 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा प्राप्त विविध विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested